

17.9.21

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की गई है। वकील प्रार्थी का कथन है कि कवास पोस्ट ऑफिस ऑनलाईन नहीं होने से डिलिवरी रिपोर्ट नहीं निकल रही है। तलबी पर्याप्त है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 130/46 रकबा 22.01 बीघा, खसरा संख्या 145/57 रकबा 43.15 बीघा कुल रकबा 65.16 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 130/46 रकबा 22.01 बीघा, खसरा संख्या 145/57 रकबा 43.15 बीघा कुल रकबा 65.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपस्थित अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

रीडर/2021/ 4806

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 20.9.21

1 टीकमाराम 2 अशोक
पिसरान प्रहलादराम 3 मूली
पत्नी प्रहलादराम जाति जाट
निवासी जटिया कुम्हारों की
बस्ती तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 आईदानराम पुत्र धर्मराम वगैराह जाति जाट 2
लच्छाराम पुत्र बीजाराम 3 सोनीदेवी पत्नी बीजाराम 4
सुराराम 5 मेहराराम पिसरान कौशलाराम 6 जोगाराम
पुत्र कुम्भाराम 7 चौथाराम पुत्र रामाराम 8 गोरधनराम
पुत्र सोनाराम 9 सताराम 10 राउराम पिसरान देवाराम
11 खेताराम 12 रूगाराम 13 सताराम 14 आईदानराम
पिसरान रावताराम जाति मेघवाल निवासी जटिया
कुम्हारों की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 61/2021

दिनांक- 17.9.21

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील
व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 130/46 रकबा 22.01 बीघा, खसरा संख्या 145/57
रकबा 43.15 बीघा कुल रकबा 65.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीग द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 20.9.21

क्रमांक :- रीडर/2021/ 4807-10

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. टीकमाराम पुत्र प्रहलादराम वगैराह जाति जाट निवासी जटिया कुम्हारों की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आईदानराम पुत्र धर्मराम वगैराह जाति जाट निवासी जटिया कुम्हारों की बस्ती तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर